क्रम संख्या-134 पंजीकृत संख्या-यू0ए0/डी0एन0-30/2006-08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विद्यायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2006 ई0

भाद्रप्रद 31, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

लघु सिंचाई विभाग

संख्या 249/नौ-1-सिं0 (स्थापना)/2003

देहरादून, 17 अक्टूबर, 2003

अधिसूचना

प0 आ0-116

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते करके और इस विषय पर विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तरांचल, लघु सिंचाई विभाग, अभियन्ता सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनिमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

उत्तरांचल अभियन्ता सेवा लघु सिंचाई विभाग नियमावली, 2006

भाग एक-सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल अभियन्त्रण सेवा लघु सिंचाई विभाग नियमावली, 2006 है।

(2) यह तुरन्त प्रव़त्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति-

लघु सिंचाई विभाग की उत्तरांचल, अभियन्ता सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह ''क'' और ''ख'' के पद समाविष्ट हैं।

3. परिभाषायें - जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में -

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) ''आयोग'' से ''उत्तरांचल लोक सेवा आयोग' अभिप्रेत है;

(ग) ''संविधान'' से ''भारत का संविधान'' अभिप्रेत है;

(घ) ''राज्यपाल'' से ''उत्तरांचल का राज्यपाल'' अभिप्रेत है;

(ड) ''सरकार'' से ''उत्तरांचल की राज्य सरकार'' अभिप्रेत है;

(च) ''सेवा का सदस्य'' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रव़त्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) ''सेवा'' से उत्तरांचल अभियन्ता सेवा लघु सिंचाई विभाग अभिप्रेत है;

(ज) ''मौलिक नियुक्ति'' सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत हैं, जो तदर्थ नियुक्ति न हों और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ध) ''भर्ती का वर्ष'' से किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बाहर मास की अवधि अभिप्रेत है;

भाग दो - संवर्ग

4. सेवा की सदस्य संख्या -

(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायेगी।

(2) सेवा की वर्तमान सदस्य संख्या आरै उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न किये जाय, निम्नवत् होगी:

पदनाम	संख्या
1. सहायक अभियन्ता	31
2. अधिशासी अभियन्ता	08
3. अधीक्षण अभियन्ता	03
4. मुख्य अभियन्ता	01

परन्तु,

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(दो) राज्यपाल, समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या स्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग तीन - भर्ती

5- भर्ती का स्रोत - सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी-

(1) सहायक अभियन्ता -

(क) 40.67 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से क़षि सिविल और यांत्रिक अभियन्त्रण से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि रखने वालों का उस रीति से किसी सीधी भर्ती में उनका अनुपात क्रमश: 50 प्रतिशत और 20 प्रतिशत हो।

(ख) (एक) 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा जसमें ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई से हो, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो,

(दो) 9.33 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं में से जो सिविल या यांत्रिक या कृषि अभियन्त्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि रखते हों या इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) (यान्त्रिक या सिविल ब्रांच) के ऐसोसिएट मेम्बर हो और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अब कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगें।

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के किसी वर्ष में पदोन्नति द्वारा भर्ती को इस प्रकार विनियमित कर सकता है कि पदोन्नति के लिए विहित प्रतिशत बना रहे।

(2) अधिशासी अभियन्ता -

मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को सहायक अभियन्ता के रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा,

परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है।

(3) अधीक्षण अभियन्ता -

मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी अभियन्ताओं, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कम से कम पन्द्रह वर्ष की कुल सेवा (जिसमें अधिशासी अभियन्ता के रूप में कुल छ: वर्ष की सेवा समिम्लित हो) पूर्ण कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा

(4) मुख्य अभियन्ता -

मौलिक रूप से नियुक्त लघु सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियन्ताओं में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 25 वर्ष की सेवा (जिसमें अधीक्षण अभियन्ता के रूप में कम से कम न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा सम्मिलित हो) पूर्ण कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा।

6- आरक्षण-

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार अनुमन्य होगा।

भाग चार - अर्हताएं

7- राष्ट्रीयता -

सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी -

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश कीनिया, युगाण्डा और यूनाईटेड रिपबल्कि ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो:

परन्तु श्रणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह सरकार के पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु, यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक (अभिसूचना) उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु, यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक वर्ष के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रखा जा सकेगा, जबकि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी-

ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो यह जारी किया गया हो और न ही देने से ही इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकेगा और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकेगा कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा या उनके पक्ष में जारी कर दिया जायेगा।

8- आयु-

सेवा में सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष को जिसमें आयेाग द्वारा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो;

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

9- शैक्षिक अर्हता -

सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए:-

पद	अर्हता
सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	सिविल या यांत्रिक अभियन्त्रण या कृषि अभियन्त्रण में स्नातक उपाधियां या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होनी चाहिए या उसने इन्सटीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) से सिविल या यांत्रिक अभियन्त्रण में सेक्सन ''ए'' और ''बी'' में ऐसोशिएट मेम्बर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो,

10- अधिमानी अर्हताएं-

ऐसे अभ्यर्थी जिसने (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती में अधिमान दिया जायेगा।

11- चरित्र-

सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी- संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। नैतिक अक्षमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होगें1

12- वैवाहिक प्रास्थिति-

सेवा में भर्ती के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पतिनयां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है, यदि उनका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्मान हैं।

13- शारीरिक स्वस्थता -

किसी भी ऐसे अभयर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा, यदि वह शरीरिक और मानसिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिसके कारण उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे -

(क) राजपत्रित पद या सेवा के मामले में, आयुर्विज्ञान परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करने होगी,

(ख) सेवा में अन्य मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड 2, भाग 2 के अध्याय 3 में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

<u>भाग - पांच - भर्ती की प्रक्रिया</u>

14- रिक्तियों की अवधारणा -

नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सीधी भर्ती के लिये रिक्तियों की सूचना आयोग को दी जायेगी,

<u>15- सीधी भर्ती की प्रक्रिया-</u>

(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हाने की अनुमति के लिये आवेदन पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगें।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा, जो लिखित परीक्षा के परिणाम में आधार पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके। साक्षात्कार मे प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंकों को लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(4) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता-क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितने वह नियुक्ति के लिये उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनाधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी हो अग्रसारित करेगी।

टिप्पणी- प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किये जायेंगें।

16- पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया -

सहायक अभियन्ता (सिविल) या सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, समय-समय यथा संशोधित उत्तरांचल लोक सेवा आयोग परामर्श चयोन्नति (पक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार की जायेगी।

परन्तु यह और कि यदि दो या अधिक संवर्गों के वेतनमान समान हो तो पात्रता सूची में अभ्यर्थियों के नाम उनके मौलिक नियुक्ति के दिनांक से क्रमानुसार रखे जायेंगें।

17- सहायक अभियन्ता के लिए संयुक्त चयन सूची -

यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाये तो एक संयुक्त सूची सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार लेकर तैयार की जायेगी कि नियम 5 के अधीन विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति व्यक्ति का होगा।

18- चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति की प्रक्रिया-

(1)(क) अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगें:-

(एक)	प्रमुख सचिव/सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल शासन	अध्यक्ष
(दो)	प्र0स0/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन	सदस्य
(तीन)	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल	सदस्य
(चार)	विभागी प्र0स0/सचिव द्वारा नामित अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि	सदस्य

(ख) मुख्य अभियन्ता स्तर-2 के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती श्रेष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्निलिखित होंगें:-

(एक)	मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन	अध्यक्ष
(दो)	प्रमुख सचिव/सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल शासन	सदस्य
(तीन)	प्र0स0/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन	सदस्य
(चार)	विभागीय प्र0स0/सचिव द्वारा नामित अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि	सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभयर्थियों की पात्रता सूचियां ''उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदो पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003'' के अनुसार तैयार करेगा और उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

भाग छः- नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

19- नियुक्ति-

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16, 17 और 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों स्रोतों द्वारा की जानी है, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों से चयन न कर लिया जाय और नियम-17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाएं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर या उस क्रम में, यथास्थिति जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्यिां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती हैं तो नाम नियम-17 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेगें।

20- परिवीक्षा -

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दों वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगें अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाये।

परन्तु, आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यह परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके

मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, और यह उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम(3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

21- स्थायीकरण -

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि-

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय, कि यह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(घ) और और सहायक अभियन्ता के मामले में परिवीक्षाधीन व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह एक समिति द्वारा जिसकी अध्यक्षता, अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा की जायेगी, आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करें। इस सिमति में मुख्य अभियन्ता द्वारा नाम निर्दिष्ट उक्त विभाग के दों अधिशासी अभियन्ता सदस्य के रूप में होंगें। विभागीय परीक्षा का पाठ्य विवरण ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया हो।

(2) जहां उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो, वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम-(3) के अधीन घोषणा करते हुए कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा सफलता पूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

22- ज्येष्ठता -

(1) एतद्पश्चात की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तरांचल सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारण) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उनकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं।

परन्तु उपबंध यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इस आदेश की जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा।

(2) किसी चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाये।

परन्तु यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया है।

(4) जहां किस स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से अधिक की जाती हैं, वहां कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हों, नीचे कर दी जायेगी।

परन्तु उपबन्ध यह है कि :

(1) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहत कोटे से अधिक की जाती है, वहां कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हों, नीचे कर दी जायेगी।

(2) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम की जाती है और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी, यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(3) जहां नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियां संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती हैं और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियां की जाती है, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे के रिक्तियों के विरूद्ध की गई है।

भाग सात - वेतन आदि

23- वेतनमान-

(1) सेवा के संवर्ग में किसी पद पर, नियुक्त किसी व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसो होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान व पदों की संख्या निम्नानुसार होंगें :-

क्रसं	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
समूह ''ख'' के पद			
1	सहायक अभियन्ता	8000-275-13500	31
समूह ''क'' के पद			
2	अधिशासी अभियन्ता	10000-325-15200	8
3	अधीक्षण अभियन्ता	12000-375-16500	3
4	मुख्य अभियंता (स्तर-2)	16400-450-20000	1

24- परिवीक्षा अवधि में वेतन-

(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने प्रशिक्षण की अवधि को सम्मिलित करते हुए एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और द्वितीय वेतन-वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु, यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल निमयों द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू संसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ - अन्य उपबन्ध

25- पक्ष समर्थन-

किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

26- अन्य विषयों का विनियमन -

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होगें।

27- सेवा की शर्तों में शिथिलता -

जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्ति या शिथिल कर सकती है।

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त करने या शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

28- व्यावृत्ति -

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

पी0के0 महान्ति
सचिव।